आज पत्रावली पेश हुइ। वकीलो ने कार्य स्थगित
कर रखा है। पत्रावली वास्ते...... पूर्वानुसार
दि. 08.02.22 ....को पेश हैं।

[हस्ताक्षर]

दिनांक	कार्यवाही
08.02.22	कोविड -19 के कारण आज पत्रावली पेश हुइ। वकीलो ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली वास्ते... पूर्वानुसार दि. 07.03.22 ....को पेश हैं। [हस्ताक्षर]
07.03.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आयो एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15-03-22 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा
15.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कीर्ति नंगला तहसील महवा स्थित आ०खा० नं० 188, 189, 212/2, 213/2, 213/674, 221/1, 222/1, 250, 251, 267, 269 270, 272/1, 273, 42/672 कुल किता 15 रकबा 3.0514 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/4 भाग वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है। सायलान द्वारा अपने पिता गैरसायल नं० 1 से उक्त भूमि का विक्रय किसी अन्य दीगर व्यक्ति को किये जाने का अन्देशा होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा गैरसायलान को जरिये नोटिस तलबी की गई। गैर सायल की तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। इसलिए वकील सायलान की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस में सायल की ओर से वकील ने कथन किया कि विवादित भूमि सायल के पिता गैरसायल नं. 1 श्रीमान सिंह की 1/4 हिस्से की खातेदारी की भूमि है जिसे सायल का [हस्ताक्षर] उपखंड अधिकारी महवा जिला-दौसा (राज०)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.
	पिता खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। सायल वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सायल द्वारा उक्त भूमि में 1/5 भाग की खातेदारी गैरसायलान। की दर्ज राजस्व रिकार्ड होना बताया है जो कि रिकार्ड अनुसार सही है लेकिन सायल ने उक्त विवादित भूमि का पैतृक होना सिद्ध नहीं किया है, इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है जिससे विवादित भूमि पैतृक सिद्ध हो। इसलिये दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एवं सायल द्वारा पैतृक भूमि सिद्ध नहीं कर पाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी महवा जिला-दौसा (राज०)